

छुट्टी यात्रा रियायत के साथ छुट्टी नकदीकरण स्वीकृति के लिए आवेदन का फार्म
APPLICATION FORM FOR SANCTION OF LEAVE ENCASHMENT ALONGWITH LTC

कर्मचारी संख्या / Employee No.

1. सरकारी कर्मचारी का नाम व पदनाम Name & designation of Govt. servant :
2. पिता या पति का नाम Name of father or husband :
3. सेवा शुरू करने की तारीख Date of joining the service :
4. एल.टी. सी.—दो वर्षीय गृहदर्शन या चार वर्षीय भारतदर्शन हेतु
(एलटीसी यात्रा का ब्योरा, कहाँ से कहाँ तक) LTC for 2 year Home-town or 4
year Bharat Darshan (Details of LTC journey, from-to) :
5. वह छुट्टी(आकस्मिक/अर्जित/अन्य छुट्टी) जिसमें आप एलटीसी ग्रहण करना :
चाहते हैं(छुट्टी की पूरी अवधि, कब से कब तक)
Leave(CL/EL/other leave) in which availing LTC(full period of leave, from-to)
6. परिवार के सदस्यों का ब्योरा(नाम, आयु व संबंध) जिनके लिए एलटीसी ग्रहण :
किया जाना प्रस्तावित है? Details of family members (name, age & relation) for
whom LTC is proposed to be availed
7. यात्रा आरंभ करने की प्रस्तावित तारीख Proposed date of starting journey :
8. अन्य ब्योरा यदि कोई हों / Other details if any :

वचनबद्धता / प्रमाणपत्र (UNDERTAKING/CERTIFICATE)

- i. मैं, यह वचनबद्धता देता हूँ कि मेरी पत्नी/पति जिनके लिए आवेदित एल.टी.सी. का दावा किया जा रहा है, वे (केन्द्र/राज्य सरकार का कार्यालय) में सेवारत हैं जहाँ उन्हें विभाग द्वारा 4 वर्षीय/2 वर्षीय ब्लॉक एल.टी.सी. की सुविधा 30 दिन के वेतन के साथ प्राप्त है, किन्तु उन्होंने आवेदित एलटीसी के लिए अपने विभाग को आवेदन नहीं दिया है या लाभ उठाया है और ना ही इसके लाभ के लिए वे अपने विभाग को दावा प्रस्तुत करेंगे। (टिप्पणी:बहरहाल यदि सरकारी कर्मचारी की पति/पत्नी किसी प्राइवेट कंपनी में सेवारत हैं तो उनसे इस घोषणा व प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी तथा उनके रोजगार से सरकारी कर्मचारी की एल.टी.सी. हकदारिता पर कोई असर नहीं पड़ेगा)
- I, undertake that my wife/husband for whom LTC for the current block will be claimed by me is employed in..... (name of the office other than a central government office) which has also extended benefit to its employees once in a block of 4 years/2 years upto the extent of 30 days salary in lieu of LTC facility and he/she has neither got benefit nor will prefer any facility/claim in his behalf to his/her employer.

Note : However, if the spouse of the Govt. servant is employed in any private company, this declaration by the Govt. servant is NOT necessary and such employment of spouse will not affect the LTC entitlement of the Govt. servant)

.....
कर्मचारी के हस्ताक्षर Signature of the employee

.....
(पत्नी/पति के हस्ताक्षर Signature of the spouse)
नाम व पदनाम Name & Designation.....
कार्यालय Office of :

कार्यालय प्रमुख(पत्नी/पति के) द्वारा मुहर सहित काउंटर-हस्ताक्षर
Countersigned by the Head of Office(of the spouse) with Seal

या or

- ii. यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/पति जिसके लिए एलटीसी का दावा किया जा रहा है वे ऐसे किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम/स्वायत्तशासी निकाय में सेवारत नहीं हैं जो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार या स्थानीय निकाय से वित्त पोषित होते हैं एवं उनके कर्मचारियों व परिवार के सदस्यों को एलटीसी की सुविधा देते हैं। Certified that my wife/husband for whom LTC being claimed is not employed in any PSU/Corporation/Autonomous Body financed wholly or partly by the Central Govt. or a local body which provides LTC facilities to its employees and their families.

(2(i) या 2(ii) में से जो लागू न हो उसे काट दें / Strike out 2(i) or 2(ii) depending upon the position)

दिनांक / Date :

.....
कर्मचारी के हस्ताक्षर Signature of the employee

प्रभारी के द्वारा मुहर सहित अग्रेषित Forwarded by Incharge with Seal